

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 327 / 2025

दायर दिनांक: 04.12.2025

उनवान

1. कोमलचन्द पि. बालचन्द जाति महाजन नि. कडोदिया तहसील रायपुर
 2. महावीरकुमार पि. बालचन्द जाति महाजन नि. कडोदिया तहसील रायपुर
- प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट



आदेश

दिनांक : 05 / 12 / 2025

प्रार्थीगण कोमलचन्द, महावीरकुमार पिस. बालचन्द जाति महाजन नि. कडोदिया तहसील रायपुर के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, कोमलचन्द का आधार कार्ड (800607156346), पेन कार्ड (BTRPC8677G), परिवार राशन कार्ड (010503200608), जनाधार कार्ड (4741370319), महावीरकुमार का आधार कार्ड (749672114759), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/171310), ग्राम कडोदिया का नामा.सं. 1200 दिनांक 20.01.2009, ग्राम कडोदिया की सेटलमेंट जमाबंदी सं. 2022-41 के खाता सं. 207, जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 863, 134 एवं तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट पत्रांक 2774 दिनांक 03.12.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कडोदिया प0म0 कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सं. 2074-77 के खाता संख्या 133, 539, 540 व 541 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी व पिता के नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में आमद दरामद के आदेश दिये जाते हैं -



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

| क्रम संख्या | ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | ग्राम कछोदिशा पठम कछोदिशा | 133 | कोमलचन्द पि. बापू | कोमलचन्द पि. बालचन्द सर्फ बापू |
| 2 | तहसील रायपुर | 540 | कोमल पि. बालचन्द | कोमलचन्द पि. बालचन्द |
| 3 | | 539 | कोमल पि. बालचन्द | कोमलचन्द पि. बालचन्द |
| 4 | | 541 | कोमल पि. बालचन्द | कोमलचन्द पि. बालचन्द |
| 5 | | 134 | महावीरकुमार नाबालिग | महावीरकुमार |
| 6 | | 563 | महावीरकुमार नाबालिग | महावीरकुमार |

तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना करना सुनिश्चित करें।



[Signature]
 09/11/25
 उपखण्ड अधिकारी, विहार
 जिला, झालावाड़, राज. राज.